अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2025

क्रमांक – 570/मप्रविनिआ/2025 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (1) के साथ पठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम (क्रमांक 4, वर्ष 2001), की धारा 9 (ञ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 {क्रमांक आरजी–1(II), वर्ष 2021) जिसे एतद् पश्चात् **"मूल संहिता"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में पंचम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (पंचम संशोधन) {क्रमांक एआरजी–I(II)(V), वर्ष 2025}"** कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधन :

2.1 **मूल संहिता के विनियम 2.1(ख) के पश्चात् निम्न विनियम 2.1(खक) स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"2.1(खक) "आवेदक (Applicant)" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो कि एक परिसर (premises) का स्वामी (owner) और/अथवा अधिवासी (occupier) है या प्रत्याशित उपभोक्ताओं का भवन निर्माता (Builder)/विकासक (Developer)/समिति/सोसायटी (Society)/समूह (Group) है जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है" ;

2.2 **मूल अधिनियमों के विद्यमान विनियम 2.1(ढ) के स्थान पर एक नवीन विनियम 2.1(ढ), निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"2.1(ढ) **"उपभोक्ता (Consumer)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे एक अनुज्ञप्तिधारी (licensee) या शासन या अधिनियम या अन्य किसी प्रचलित विधि के अधीन आम जनता को विद्युत आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका परिसर कुछ समय के लिये विद्युत की प्राप्ति के प्रयोजन से यथास्थिति अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से संयोजित किया किया गया है। कोई भी व्यक्ति :

(एक) निम्न दाब उपभोक्ता (LT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से निम्न वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो :

(दो) उच्च दाब उपभोक्ता (HT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो :

(तीन) अति उच्च दाब उपभोक्ता (EHT Consumer) होगा यदि वह अनुज्ञप्तिधारी से अति उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करता हो;"

2.3 **मूल अधिनियम के विद्यमान विनियम 2.1 (तत) के पश्चात् एक नवीन विनियम 2.1(ततक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–**

"2.1(ततक) **"स्वीकृत भार (Sanctioned Load)"** से अभिप्रेत है किलोवाट {Kilowatt(kW)}/किलोवोल्ट एम्पीयर {Kilovolt ampere(kVA)/ अश्वशक्ति {Horse Power(HP)} में अभिव्यक्त भार जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर या फिर उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध/करार (agreement) के आधार पर, यथास्थिति, निर्धारित समय–समय पर निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुमोदित किया गया हो ;"

3. मूल संहिता के अध्याय 3 में संशोधन :

मूल संहिता के विद्यमान विनियम 3.4 के स्थान पर निम्न नवीन विनियम 3.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"3.4 स्वीकृत भारों (Sanctioned Loads)/संविदा मांगों हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेज सामान्यतः निम्नानुसार होगी :

विद्युत प्रदाय वोल्टेज	यथास्थिति, न्यूनतम स्वीकृत भार या संविदा मांग	यथास्थिति, उच्चतम स्वीकृत भार या संविदा मांग
230 वोल्ट	–	5 किलोवॉट (kW)
400 वोल्ट	2 किलोवॉट से अधिक	(एक) मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) : 150 किलोवॉट संविदा मांग, संयोजित भार की बिना किसी उच्चतम सीमा के (दो) स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) : 150 किलोवॉट
11 किलोवोल्ट (KV)	50 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	300 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)
33 किलोवोल्ट (KV)	100 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	1000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)
132 किलोवोल्ट (KV)	5000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	50000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)
220 किलोवोल्ट या इससे अधिक	40000 किलोवोल्ट एम्पीयर (KVA)	–

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी सन्तुष्ट हो कि उपरोक्त उल्लेखित मानदण्डों से विचलन के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है तथा इस प्रकार किया गया विचलन तकनीकी तौर पर साध्य है तो वह इसके लिये कारणों को लिखित में अभिलेखित करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।"

4. मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :

4.1 विनियम 4.1(ख) तथा 4.1(ग), विनियम 4.6, विनियम 4.7, विनियम 4.15, विनियम 4.16, विनियम 4.21, विनियम 4.22, विनियम 4.23, विनियम 4.24, विनियम 4.26, विनियम 4.27, विनियम 4.28, विनियम 4.29, विनियम 4.42, विनियम 4.49, विनियम 4.50, विनियम 4.51, विनियम 4.52, विनियम 4.54, में विनियम 4.58 के प्रथम चार वाक्यों, में विनियम 4.61, विनियम 4.63 तथा विनियम 4.64 में शब्द "उपभोक्ता" और/या "उपभोक्ताओं" के स्थान पर समस्त स्थानों पर क्रमशः शब्द "आवेदक" और/या "आवेदकों" स्थापित किये जाएं।

4.2 मूल संहिता के विनियम 4.3 के स्थान पर विनियम 4.3 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.3 आवेदकों की मांग की पूर्ति के लिये वितरण प्रसंवाही (Distribution Main) के विस्तार/उन्नयन की लागत का आवेदक द्वारा भुगतान मय विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) आदि के यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2021, यथा संशोधित तथा लागू में किये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।"

4.3 मूल संहिता के विनियम 4.4 के स्थान पर विनियम 4.4 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.4 आवेदक को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय के बिन्दु तक स्थापित की गई अधोसंरचना जो मापयन्त्र बिन्दु (metering point) तक आवेदक के परिसर के भीतर/बाहर अवस्थित हो, भले ही ऐसी अधोसंचना की लागत का भुगतान आवेदक द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया गया हो, समस्त प्रयोजनों के लिये अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी। अनुज्ञप्तिधारी इसका संधारण (रख–रखाव) अपने स्वयं के व्यय पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह सेवा संयोजन (Service Connection) का उपयोग इसके विस्तार (extension) द्वारा या फिर निकासी (tapping) द्वारा इनकी

क्षमता में आवर्धन द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के उद्देश्य से करे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार किया गया विस्तार या आवर्धन विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करता हो।"

4.4 **मूल संहिता के विनियम 4.5 के स्थान पर विनियम 4.5 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्** :

"4.5 जब अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण प्रसंवाही (Distribution Main) का विस्तार कार्य पूर्ण करता है और विद्युत आपूर्ति के लिये तैयार हो तो अनुबन्ध में किये गये उल्लेखानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को विद्युत आपूर्ति की प्राप्ति हेतु उसे एक सूचना–पत्र (नोटिस) तामील करेगा। यदि आवेदक सूचना–पत्र की अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में चूक करता है तो सूचना–अवधि की समाप्ति की तिथि के दूसरे दिन से अनुबन्ध प्रभावशील हो जाएगा तथा तत्पश्चात् उपभोक्ता अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समस्त प्रभारों के भुगतान का देनदार होगा।"

4.5 **मूल संहिता के विनियम 4.53 के स्थान पर विनियम 4.53 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्** :

"4.53 यदि कोई आवेदक कृषि संयोजन प्राप्ति का इच्छुक हो तो वह कृषि उपयोग हेतु अस्थाई संयोजन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में, आवेदक को प्रस्तावित अस्थाई संयोजन की अवधि की भुगतान योग्य सम्पूर्ण देयक राशि, तत्समय लागू प्रभारों अनुसार, का भुगतान करना होगा। अस्थाई संयोजनों पर लागू समस्त प्रभार तथा अन्य शर्तें प्रचलित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार लागू होगी। इस प्रावधान में निहित किसी बकाया राशि का भुगतान न करने का दोषी पाये जाने पर उपभोक्ता को पुरानी बकाया राशियों का निपटान होने तक नवीन संयोजन प्रदान नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी इस प्रावधान के अधीन विद्युत आपूर्ति के लिये विशेष रूप से स्थापित उपकरण को अस्थाई संयोजन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त हटाये जाने हेतु पूर्णतया प्राधिकृत होगा।"

4.6 **मूल संहिता के विनियम 4.59 के स्थान पर विनियम 4.59 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.59 उच्च दाब औद्योगिक संयोजन हेतु इच्छुक किसी उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति सामान्यतः केवल उद्योगों के लिये प्रयोज्य, संभरकों (feeders) के माध्यम से की जाएगी। सतत प्रसंस्करण उद्योग (Continuous Process Industry) धारित करने वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यथा संभव विद्युत प्रदाय निकटतम 33/11 kV या अति उच्च दाब केन्द्र (EHT Sub Station) से एक पृथक संभरक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।"

4.7 **मूल संहिता के विनियम 4.60 के स्थान पर विनियम 4.60 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.60 उच्च दाब संयोजन (दोनों 11 kV या 33 kV से संबद्ध) हेतु इच्छुक नवीन आवेदक को सामान्यतः किसी ग्रामीण संभरक से विद्युत आपूर्ति का विस्तार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि किसी तकनीकी कारण से ग्रामीण संभरक से विद्युत की आपूर्ति की जाती है तो आवेदक को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि ग्रिड की परिस्थितियों के अनुसार ग्रामीण संभरकों के विद्युत प्रदाय को प्रतिबंधित एवं विनियमित किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के प्रतिबन्धों के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व न होने का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, निष्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत इस स्थिति के बारे में विशेष कण्डिका के अधीन इस तथ्य का उल्लेख भी किया जाएगा।"

4.8 **मूल संहिता के विनियम 4.62 के स्थान पर विनियम 4.62 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"4.62 अति उच्च दाब संयोजन हेतु इच्छुक आवेदकों को विद्युत प्रदाय की मांग की पूर्ति के लिये निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण करेंगे। आवेदक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा। उपर्युक्त दोनों अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता

की जांच करेंगे तथा भावी उपभोक्ता हेतु इसे साध्य पाये जाने पर विद्युत आपूर्ति का बिन्दु निर्धारित करेंगे।"

5. मूल संहिता के अध्याय 6 में संशोधन :

5.1 **मूल संहिता के विनियम 6.36 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :**

मूल संहिता के विनियम 6.36 में अंकित चिन्ह "/" के पश्चात् शब्दों "संयोजित भार" के स्थान पर शब्द "स्वीकृत भार (sanctioned load)" स्थापित किए जाएं।

5.2 **मूल संहिता के विनियम 6.44 को विलोपित किया जाए।**

6. मूल संहिता के अध्याय 7 में संशोधन :

6.1 **मूल संहिता के विनियम 7.1 के स्थान पर विनियम 7.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"उपभोक्ताओं की निम्न दाब घरेलू श्रेणी को छोड़कर निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु स्वीकृत भार–आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत, स्थाई प्रभारों (fixed charges) हेतु बिलिंग उपभोक्ता के स्वीकृत भार (sanctioned load) के आधार पर की जाएगी। उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग तत्संबंधी वर्षों हेतु निर्धारित खुदरा आपूर्ति विद्युत दर आदेशों (retail supply tariff orders) के आधार पर की जाएंगी :

परन्तु यह कि निम्न दाब घरेलू (LT domestic) तथा एकल फेज गैर–घरेलू उपभोक्ताओं (single phase non-domestic consumers) की श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत भार (sanctioned load) नवीन संयोजन प्राप्त करते समय आवेदित भार (load applied) के अनुसार होगा तथा निम्न दाब घरेलू तथा एकल फेज गैर–घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य प्रकरणों में स्वीकृत भार उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार होगा :

परन्तु आगे यह और भी कि घरेलू श्रेणी में उपभोक्ता द्वारा धारित संयोजित भार स्वीकृत भार से अधिक हो सकता है :

परन्तु यह और भी कि स्मार्ट मापयन्त्र (smart meter) की स्थापना के पश्चात्, यदि न्यूनतम तीन बिलिंग चक्रों के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में

अभिलेखित उच्चतम मांग स्वीकृत भार से अधिक हो तो स्वीकृत भार (sanctioned load) स्वयमेव (automatically) समस्त दृष्टांतों (instances) की उच्चतम मांग के न्यूनतम आंकड़े के अनुसार पुनरीक्षित किया जाकर स्थिर हो जाएगा जब अभिलेखित उच्चतम मांग समस्त बिलिंग चक्रों के अन्तर्गत स्वीकृत भार से अधिक पाई गई हो। पुनरीक्षित स्वीकृत भार आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम बिलिंग चक्र के प्रथम दिवस से प्रभावशील होगा बशर्ते यह विद्यमान आपूर्ति व्यवस्था से बढ़े हुए स्वीकृत भार के प्रबन्धन हेतु तकनीकी रूप से व्यावहारिक हो :

परन्तु यह और भी कि उपभोक्ता को यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2022 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट भार में वृद्धि हेतु प्रयोज्य प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा यथाप्रयोज्य अनुपूरक अनुबन्ध भी निष्पादित करना होगा :

परन्तु यह और भी कि उच्चतम मांग में कम होने संबंधी प्रकरण में, स्वीकृत भार का पुनरीक्षण इस संहिता में निर्दिष्टानुसार किया जाएगा।"

6.2 **मूल संहिता के विनियम 7.2 के प्रथम अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद 7.2 स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"7.2 ऐसे उपभोक्ताओं की संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अनुरूप होगी।"

6.3 **मूल संहिता के विनियम 7.6(ङ) को विलोपित किया जाए।**

6.4 **मूल संहिता के विनियम 7.16 के स्थान पर विनियम 7.16 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"7.16 उपभोक्ता को इस प्रकार से संविदा मांग में कमी किये जाने के कारण उसे नवीन संयोजन प्रभारों/विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) का प्रत्यर्पण (refund) प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि उपभोक्ता संविदा मांग में कमी किये

जाने के पश्चात् अनुवर्ती तौर पर पुनः संविदा मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो ऐसी दशा में उसे विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों आदि का भुगतान करना अनिवार्य होगा जैसा कि वे ऐसा अनुरोध करते समय प्रयोज्य थे :

परन्तु यह कि यदि इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व विद्यमान निम्न दाब संयोजनों के प्रकरण में जहां विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान संलग्न भार के आधार पर पूर्व में किया जा चुका हो वहां उस संयोजित भार तक संविदा मांग में वृद्धि हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान देय न होगा।"

6.5 **मूल संहिता के विनियम 7.26 के प्रथम अनुच्छेद के स्थान पर निम्न अनुच्छेद 7.26 स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"7.26 यदि कोई उपभोक्ता, यथास्थिति, स्वीकृत भार (Sanctioned Load) या संविदा मांग (contract demand) से अधिक मात्रा में विद्युत की खपत करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता की बिलिंग टैरिफ आदेश में दी गई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

परन्तु यह कि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पश्चात्, स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना तिथि से पूर्व की अवधि हेतु स्मार्ट मापयन्त्र में अभिलेखित की गई उच्चतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि किसी बिलिंग चक्र में यदि स्मार्ट मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलेखित अधिकतम मांग, यथास्थिति, स्वीकृत भार/संविदा मांग से अधिक हो जाए तो उक्त बिलिंग चक्र हेतु देयक की गणना, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो, वास्तविक अभिलेखित उच्चतम मांग की गणना के आधार पर प्रचलित खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश में दर्शाई गई रीति के अनुसार की जाएगी तथा उपभोक्ता को गणना के इस परिवर्तन के संबंध में सूचना लघु सन्देश सेवा (SMS) अथवा मोबाइल अनुप्रयोग (Mobile Application) के माध्यम से सम्प्रेषित की जाएगी।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 27th March 2025

No. 570 / MPERC /2025. In exercise of the powers conferred under Section 181(1) read with Section 43(1), Section 44, Section 45, Section 46, Section 47, Section 48 (b), Section 50, Section 56, Section 181(2)(w), Section 181(2)(x) of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and Section 9(j) of Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), and all other powers enabling in that behalf, Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 (No. RG- 1(II) of 2021) herein after referred to as the **'Principal Code'** namely: -

FIFTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2021

1. Short Title and Commencement-

1.1. This Code shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 (Fifth Amendment) [ARG-1(II)(v) of 2025]".**

1.2. This Code shall come into force from the date of its publication in the official Gazette of Government of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Chapter 2 of the Principal Code:

2.1 A new Regulation 2.1 (ba) shall be inserted after Regulation 2.1 (b) of the Principal Code, namely:

"2.1 (ba) **"Applicant"** means a person who is the owner and/or occupier of any premises or Builder/Developer/Society/Group of prospective consumers who has submitted the application to the Distribution Licensee for supply of electricity;"

2.2 A new Regulation 2.1 (n) shall be substituted in place of existing Regulation 2.1 (n) of the principal code, namely:

"2.1 (n) **"Consumer"** means any person who is supplied with electricity for his own use by a licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a licensee, the Government or such other person, as the case may be. A consumer is:

(i) "Low Tension Consumer (LT Consumer) if he obtains supply from the

licensee at Low Voltage:

(ii) "High Tension Consumer (HT Consumer) if he obtains supply from the licensee at High Voltage:

(iii) "Extra High-Tension Consumer (EHT Consumer) if he obtains supply from the licensee at Extra High Voltage.

2.3 A new Regulation 2.1 (ooa) shall be inserted after existing Regulation 2.1 (oo) of the principal code, namely:

"2.1 (ooa) **"Sanctioned load"** means load in kilowatt (kW) / kilovolt ampere (kVA) / Horsepower (HP) as approved by the licensee based on the application of the consumer or as per the agreement entered into between consumer and the licensee, as the case may be, from time to time subject to governing terms and conditions;

3. Amendment to Chapter 3 of the Principal Code:

A new Regulation 3.4 shall be substituted in place of existing Regulation 3.4 of the Principal Code, namely:

"3.4 The supply voltage for different Sanctioned load / contract demand shall normally be as follows:

Supply Voltage	Minimum Sanctioned Load or Contract Demand as the case may be	Maximum Sanctioned Load or Contract Demand as the case may be
230 Volts	--------	5 kW
400 Volts	Above 2 kW	(i) Demand based tariff: 150 kW contract demand with no ceiling of connected load. (ii) Sanctioned load based tariff: 150 kW.
Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
11 kV	50 kVA	300 kVA
33 kV	100 kVA	10000 kVA
132 kV	5000 kVA	50000 kVA
220 kV or more	40000 kVA	---------

Provided that if licensee is satisfied that there are sufficient grounds for deviation in the norms above stated and that such deviation is technically feasible, it may grant the same for reasons to be recorded in writing."

4. Amendment to Chapter 4 of the Principal Code:

4.1 In Regulations 4.1 (b) and 4.1 (c), Regulation 4.6, Regulation 4.7, Regulation 4.15, Regulation 4.16, Regulation 4.21, Regulation 4.22, Regulation 4.23, Regulation 4.24, Regulation 4.26, Regulation 4.27, Regulation 4.28, Regulation 4.29, Regulation 4.42, Regulation 4.49, Regulation 4.50, Regulation 4.51, Regulation 4.52, Regulation 4.54, first four sentences of Regulation 4.58, Regulation 4.61, Regulation 4.63 and Regulation 4.64, of the Principal Code, words "consumer" and/or "consumers" shall be substituted by word "applicant" and/or "applicants" respectively.

4.2 Regulation 4.3 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.3, namely:

"4.3 The cost of extension of distribution mains and/or extension /upgradation of the system up to the point of supply for meeting demand of applicants along with supply affording charges etc. shall be payable by the applicants as per the provisions made in MPERC (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, as applicable and amendments thereof."

4.3 Regulation 4.4 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.4, namely:

"4.4 The infrastructure laid up to the point of supply for giving supply to the applicant which may be within/outside the premises of the applicant up to the metering point, notwithstanding that cost of such infrastructure has been paid for by the applicant to the licensee, shall be the property of the licensee for all purposes. The licensee shall maintain it and shall also have the right to use the same for supply of energy to any other person by extending or tapping it or augmenting its capacity. Provided that such extension or tapping or augmentation does not adversely affect the reliability and quality of supply or quality of service to the existing consumers."

4.4 Regulation 4.5 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.5, namely:

"4.5 When the licensee completes the work of extension of distribution mains and is ready to give supply, the licensee shall serve a notice on the applicant to take power supply within a stipulated period as mentioned in the agreement.

If the applicant fails to avail supply within the notice period, the agreement shall come into force from the day following the end of the notice period, and thereafter the consumer shall be liable to pay all charges due from him as per the agreement."

4.5 Regulation 4.53 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.53, namely:

"4.53 If an applicant seeking agricultural connection wishes, he may seek temporary connection for agricultural use. In such case, the applicant shall pay the entire amount of bill for charges applicable at the time of serving temporary connection for the entire period of proposed temporary connection as advance. All other conditions as applicable to temporary connections as per tariff order shall be applicable. In case a consumer defaults in clearing any dues under this provision, he shall not be provided new connection till previous dues are cleared. The licensee shall have the right to remove any equipment specifically installed for providing supply under this provision, after the period of temporary connection is over."

4.6 Regulation 4.59 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.59, namely:

"4.59 Supply to an applicant seeking HT industrial connection shall normally be given through HT feeder exclusively meant for industries. The extension of supply through a separate feeder from the nearest 33/11 kV or EHT substation in case of applicants seeking connection in continuous process industry would be preferred."

4.7 Regulation 4.60 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.60, namely:

"4.60 Normally, the supply to new applicant seeking HT connection (both at 11 kV or 33 kV) shall not be extended from the rural feeder. If for any technical reason, the supply is to be given from a rural feeder, the applicant shall be informed that the supply shall be restricted and regulated in accordance with the restrictions imposed on the rural feeders as per grid conditions. Such applicants may be required to furnish a declaration to the licensee indemnifying the licensee for the restrictions in supply. Also, this should be mentioned in the agreement under special clause."

4.8 Regulation 4.62 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 4.62, namely:

"4.62 The procedure as specified in requisition for supply shall be followed for

giving supply to applicants seeking E.H.T. connection. The Distribution licensee and the Transmission Licensee shall carry out the inspection jointly. The applicant or his authorized representative shall remain present at the time of inspection. The two licensees shall check the feasibility of supply and if found feasible shall fix the point of supply."

5. Amendment to Chapter 6 of the Principal Code:

5.1. Regulation 6.36 of the Principal Code shall be amended as follows, namely:

Words "connected load" in the Regulation 6.36 of the Principal Code, after "/" sign shall be substituted by the words "sanctioned load".

5.2. Regulation 6.44 of the Principal Code shall be omitted.

6. Amendment to Chapter 7 of the Principal Code:

6.1. Regulation 7.1 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 7.1, namely:

"7.1 In sanctioned load-based tariff for LT consumers, other than LT domestic category of consumers, the billing of fixed charges will be done on the basis of sanctioned load of the consumer. Billing of fixed charges for domestic category of consumers shall be done as laid down in retail supply tariff orders of respective years.

Provided that the sanctioned load in LT domestic and single phase non-domestic consumers shall be the load applied by the consumer at the time of taking new connection and in case of LT connections other than LT domestic and single phase non-domestic consumers, the sanctioned load shall be as per agreement entered into between consumer and the licensee.

Provided further that in domestic category, the consumer may have connected load more than the sanctioned load;

Provided also that after the installation of smart meter, in case, recorded maximum demand exceeds the sanctioned load, for at least three billing cycles during a financial year, the sanctioned load shall stand automatically revised to the lowest of the maximum demand of all the instances when the recorded maximum demand has exceeded the sanctioned load in billing cycles. The revised sanctioned load shall be effective from the 1st day of 1st billing cycle of the next financial year provided it is technically feasible to cater enhanced sanctioned load from existing supply arrangement:

Provided also that the consumer shall pay the charges as applicable for enhancement of load as specified in MPERC (Recovery of Expenses and other Charges for providing Electric Line or Plant used for the purpose of giving Supply) (Revision-II) Regulations 2022, as amended from time to time and execute a supplementary agreement, wherever applicable:

Provided also that in case of reduction of maximum demand, the revision of sanctioned load shall be done as specified in this Code."

6.2. First paragraph of Regulation 7.2 of the Principal Code shall be substituted by following paragraph, namely:

"7.2 The Contract Demand shall be as per agreement entered into between the consumer and the Licensee."

6.3. Regulation 7.6 (e) of the Principal Code shall be omitted.

6.4. Regulation 7.16 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 7.16, namely:

"7.16 The consumer shall not be entitled to get refund of new connection charges/supply affording charges on account of such reduction in contract demand. However, if the consumer subsequently, after reduction in contract demand requires enhancement of the contract demand again, he shall be required to pay supply affording charges etc. as applicable at the time of such request.

Provided that in case of existing LT connections for which supply affording charges based on connected load have already been paid prior to notification of these Regulations, for enhancement of contract demand, supply affording charges shall not be payable upto the connected load for which these charges have already been paid."

6.5. Regulation 7.26 of the Principal Code shall be substituted by following Regulation 7.26, namely:

"7.26 In case the consumer is found consuming electricity in excess of the sanctioned load or contact demand, as the case may be, such consumer shall be billed as per the procedure detailed in the tariff order;

Provided that after the installation of smart meter, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date of smart meter:

Provided further that in case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the sanctioned load/contract demand, as the case may be, in a billing cycle, the bill, for that billing cycle, shall be calculated on the basis of actual recorded maximum demand, in the manner as laid down in retail supply tariff order in force, wherever applicable, and consumer shall be informed of this change in calculation through short message service (SMS) or mobile application."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.